न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं. /2014/ R 2- PBR/15

श्रीमती गोमा उर्फ गोमती पत्नी प्रीतम सिंह पुत्री स्व. ऊँकार निवासी-ग्राम चीनौर विकासखण्ड भितरवार ग्वालियर

विरूद्ध

दिनांक 1-1-15 को जितेन्द्र स्वामी अभि० द्वारा प्रस्तुत/
1-1-15
SO

01/01/15

1. कस्तूरी बाई बेवा सोनपाल
2. कल्याण
3. प्रकाश
4. रवि पुत्रगण स्व. श्री सोनपाल निवासीगण ग्राम अजयपुर चांदवारी पंचायत भवन के पास, ग्वालियर

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध आदेश कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रं. 04/13-14/पुर्नविलोकन आदेश दिनांक ~~02.08.14~~ 24/07/14 अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग. 2–पीबीआर/15 जिला – ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/5/15	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर के आदेश दिनांक 24.7.2014 जिसके द्वारा कलेक्टर ने पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की है, के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.1.2015 को उभय पक्ष की सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील भी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें दिनांक 24.2.2015 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हो चुके हैं, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । प्रत्युत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में आवेदिका की ओर से कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि कलेक्टर द्वारा बिना आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि बिना दूसरे पक्ष को सुने पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि यदि कलेक्टर का आदेश निरस्त हो जाता है, तो उसके बाद की समस्त कार्यवाही भी अवैधानिक होने से निरस्त हो जायेगी, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने से और उसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने से यह निगरानी निरर्थक नहीं	

होगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय को कलेक्टर के आदेश की वैधानिकता का परीक्षण करना, इसलिये भी यह निगरानी निरस्त नहीं की जा सकती है । तर्क के समर्थन में 2000 आर0एन0 76 एवं 1987 आर0एन0 34 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

2/ व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के पुनर्विलोकन की अनुमति सम्बन्धी आदेश दिनांक 24.7.2014 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.1.2015 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, और उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है तथा अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.2.2015 को यथास्थिति बनाये रखने सम्बन्धी आदेश भी पारित कर दिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई हो कि कलेक्टर द्वारा बिना आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई है, और आवेदिका द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाते हैं एवं उक्त दस्तावेजों के आधार पर यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष